

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक पं. 2(1)कार्मिक/क-2/2014/पार्ट

जयपुर, दिनांक:

28 AUG 2018

1. समस्त अति० मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर) सहित।

परिपत्र

विषय:—अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की पारस्परिक वरिष्ठता के संबंध में।

कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 28.1.2014 के द्वारा राजस्थान विनिर्दिष्ट क्षेत्र अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी (भर्ती एवं सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 जारी किये गये। इन नियमों के जारी होने के पश्चात अनुसूचित क्षेत्र में अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवाओं का अलग गठन कर दिया गया है। जिसके अन्तर्गत अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र के सेवा नियमों में शामिल पदनाम अलग-अलग होंगे और उनकी रिक्तियों का निर्धारण अलग-अलग होगा तथा दोनों क्षेत्रों में नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता सूची पृथक-पृथक प्रकाशित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 12.5.2015 एवं 10.5.2016 के द्वारा नवगठित सेवाओं के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची तैयार करने के संबंध में स्पष्ट निर्देश भी प्रदान किये गये हैं।


इस संबंध में यह भी विदित है कि अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर पदोन्नति में भी अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जाति के कार्मिकों को 5 प्रतिशत तथा अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के कार्मिकों को 45 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है, परन्तु अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा में पदोन्नति करने के संबंध में कतिपय विभागों द्वारा यह मार्गदर्शन चाहा जा रहा है कि राज्य सेवा में पदोन्नति करने हेतु अनुसूचित क्षेत्र और गैर अनुसूचित क्षेत्र में नियुक्त कर्मचारियों की इकजाई वरिष्ठता किस प्रकार निर्धारित की

जावे। क्योंकि उक्त सेवा नियम, 2014 में वरिष्ठता से संबंधित सेवा नियम में इस संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है।

अतः ऐसी स्थिति में समस्त विभागों को निर्देशित किया जाता है कि अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र दोनों में अधीनस्थ, मंत्रालयिक एवं चतुर्थ श्रेणी सेवा के पदों पर नियुक्त कार्मिकों की वरिष्ठता सूची पृथक-पृथक होने तथा पदोन्नति में अगला पद राज्य सेवा का होने पर इन क्षेत्रों के कर्मचारियों की निम्नानुसार प्राथमिकता के आधार पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारित की जानी चाहिए:-


1. चयन वर्ष
2. चयन क्रमांक (यदि चयन संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा से हुआ हो)
3. सेवावधि (Length of service)।

उपरोक्तानुसार पारस्परिक वरिष्ठता निर्धारण हो जाने के पश्चात विचारण सीमा (ZOC) तैयार कर पदोन्नति पर विचार किया जावे।


(भास्कर ए. सावंत)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
2. सचिव, मा० मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव गण।
4. सचिव, राज० लोक सेवा आयोग, अजमेर।
5. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
6. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली


संयुक्त शासन सचिव 28/8/2018